



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 पौष 1942 (श0)

(सं0 पटना 974) पटना सोमवार 28 दिसम्बर 2020

सं० 27/आरोप-01-100/2019-12199/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

18 दिसम्बर 2020

श्री रंजन कुमार चौहान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 542/2011, तत्कालीन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता, पूर्णिया के पत्रांक-1189 दिनांक-14.10.2019 द्वारा आरोप पत्र भेजते हुए अनुशासनिक कार्यवाई की अनुशंसा की गयी।

श्री चौहान के विरुद्ध दिनांक-12.10.2019 को नशे की हालत में बायसी बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक एवं इंडियन बैंक के ए0टी0एम में जाकर विधि विरुद्ध हरकत करने के कारण ए0टी0एम गार्ड श्री उत्तम रविदास द्वारा बायसी थाना में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, जिसकी प्राथमिकी सं0-242/19 दिनांक-12.10.2019 U/S-341/323/427 I.P.C एवं 37(C) बिहार मद्य निषेध अधिनियम-2017 है। शराब सेवन के संबंध में उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा ब्रेथ एनलाईजर से जांच की गयी। जांचोपरान्त शराब सेवन का प्रतिशत 133.6 mg/100 ml पाया गया। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16946 दिनांक-12.12.2019 द्वारा श्री चौहान को केन्द्रीय कारा, पूर्णिया में कारानिरुद्ध की तिथि 12.10.2019 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया निर्धारित किया गया।

2. श्री चौहान के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक-1268 दिनांक-24.01.2020 द्वारा श्री चौहान से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. श्री चौहान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में बताया गया है कि वे दिनांक-12.10.2019 को नशे की हालत में नहीं थे। इनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक एवं इंडियन बैंक के ए0टी0एम में तोड़-फोड़ एवं ए0टी0एम गार्ड के साथ मारपीट से इन्कार किया गया है। साथ ही इन्होंने स्वयं पर प्रतिवेदित आरोप को साक्ष्यविहीन बताते हुए सभी आरोपों से इन्कार किया है।

4. जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा प्रतिवेदित आरोप, श्री चौहान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री चौहान के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इस मामले की विस्तृत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत श्री चौहान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

5. श्री चौहान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी होंगे।

6. श्री चौहान से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 974-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>